तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री एस. एस. सिद्धू, अधिवक्ता, प्रकरण सं.597/2000 में अपीलार्थीगण की ओर से एवं प्रकरण संख्या 924/2000 में रैस्पोडैन्ट की ओर से

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक, प्रकरण सं. 597/2000 में रैस्पोडैन्ट की ओर से एवं प्रकरण संख्या–924/2000 में अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.09.2023

यह दोनों अपीलें धारा 23(2–ए) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 09/1995 एवं 09/85 बउनवानी सरकार बनाम बुगरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 14–03–2000 के विरूद्ध अपीलार्थी हरफूलसिंह एवं अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। **निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।** सुलभ सन्दर्भ हेतु अपील में प्राईवेट पक्षकार को अपीलार्थी एवं राज्य सरकार को रेस्पोडेन्ट से सम्बोधित किया जावेगा।

संक्षेप में दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा असेसी के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 27–12–1972 से घोषणाकर्ता के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने के आदेश पारित किये। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय को राज्य हितों के विपरीत मानते हुए धारा 15(2) सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत आदेश दिनांक 03–12–1976 से पुनः खोले जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08–08–1979 से प्रार्थी असेसी बुगरसिंह के पास 30बीघा 09बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	नहरी एवं 06बीघा 04बिस्वा बारानी भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानकर अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष अपील संख्या 20/1979 प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-8-1979 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 14-03-2000 से अपीलान्ट के पास 31बीघा 16बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट हरफूलसिंह वगैराह द्वारा अपील संख्या-597/2000 एवं सरकार द्वारा अपील संख्या-924/2000 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 1249/71 का निर्णय दिनांक 27.12.1972 को सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया और अपीलार्थी की भूमि सीलिंग सीमा के भीतर ही मानी गई। नए सीलिंग कानून के तहत मामले को पुनः रिओपन दिनांक 03.12.1976 को किया गया और अतिरिक्त जिला कलक्टर को भेजा गया। दिनांक 08.03.1979 के निर्णय के अनुसार 30 बीघा 9 बिस्वा नहरी व 6 बीघा 12 बिस्वा बारानी को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिए। इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर दिनांक 17.08.1979 को मामला रिमांड किया गया और पुनः सुनकर निर्णय पारित करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश के बावजूद भी रिमांड न्यायालय द्वारा दुबारा वही निर्णय दिनांक 14.03.2000 को पारित किया। जबकि राज्य सरकार को रिओपन का आदेश ही दिनांक 01.10.1986 के द्वारा निरस्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में आगे की कार्यवाही भी नहीं हो सकती थी। बूगर सिंह के सारे वारिसानों का नोटिस नहीं दिया गया। वारिसानों के वारिसानों को भी नोटिस नहीं दिया गया। वृहदपीठ का निर्णय है कि सरकार अपने आदेश को रिव्यू नही कर सकती है, जांच होनी चाहिए थी कि रिव्यू हुआ या नहीं। अतिरिक्त जिला कलक्टर स्वयं अधिकृत किया हुआ है, सरकार का प्रतिनिधि है और अतिरिक्त जिला कलक्टर का यह निर्णय भी पारित करने का अधिकार नहीं था और जमीन की गणना भी गलत है। पुत्रों की भूमि को भी गलत रूप से शामिल किया है, जबकि धारा 30-बी में परिवार की परिभाषा दी हुई है। अतिरिक्त साक्ष्य से आवेदन पेश किया हुआ है जो पर्चा खतौनी में दो भाईयों के नाम की है तथा अपीलार्थी को तो आधा हिस्सा ही मिलना है तो सीलिंग से अधिक हो ही नहीं सकती और सटेन्डर्ड एकड भी नहीं बनाया गया जो गणना सहीं नहीं है। मेरिट के अनुसार अपीलार्थी का केश सीमा में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख

आता है। 64 बीघा का आधा 32 बीघा ही होता है जो लिमिटेशन में ही है और राज्य सरकार को भी अपील पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तहसीलदार अपील करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सरकार विड्रो कर सकती है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1. 1995 आरआरडी एनओसी 61 पेज 41
2. 1997 आरआरडी पेज 572
3. 1986 आरआरडी पेज 460
4. 1992 आरआरडी पेज 450
5. 1998 आरआरडी पेज 140
6. 1994 आरआरडी पेज 222
7. 1978 आरआरडी पेज 375
8. 1997 आरआरडी पेज 198

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बुगर सिंह के परिवार में दिनांक 01.04.1966 को आठ सदस्य मान कर निर्णय पारित किया है। जबकि तहसीलदान राजस्व की रिपोर्ट दिनांक 03.07.1985 में मृतक बुगर सिंह के परिवार में केवल छः सदस्य ही थे और मृतक के पास 101.09 बीघा भूमि थी जो उनके हिस्से में 55.12 बीघा भूमि धारित करने के अधिकारी थे और शेष 45.15 भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही सीलिंग सीमा से अधिक होना मान कर ही आदेश पारित किए है। जबकि अधिक भूमि का अधिग्रहण किए जाने योग्य है। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर को समस्त शक्तियां प्राप्त है और उसी के अनुसार यह निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी ने जो पर्चा खतौनी का दो भाईयों के नाम बताया है इसलिए कोई दस्तावेज ऑन रिकार्ड नहीं थे। अतः अपील अपीलार्थी बुगरसिंह की खारिज की जावे और राज्य सरकार की मंजूर की जाये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है। –

1995 आरआरडी एनओसी 61 पेज 41 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया गया है कि– Ceiling Law –R.T. Act, Sec. 30 B – Ceiling Rules , 1963, R. 17(4)– Definition of 'family'–Minor

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	son's share in ancestral property–Whether to be clubbed or not with father's share–'Dependency' is relevant question to be decided and not 'minority'–Minor having sufficient property of his share can maintain himself our of his own property and he is not dependent on his parents and as such his share should not be clubbed with his father. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1997 आरआरडी पेज 572 में मंडलहाजा द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Rajasthan Imposition of Ceiling on Agrl. Holdings Act, 1973, Sections 15(1), 4 & 5– Case dropped under Old Ceiling Law was re -opened u/s 15(1) of the Act and decided by Addl. Collector–Appeal–Held , adoption has not been proved by documentary evidence like School or College certificates, voter-list, etc.; ration card of 1988 does not prove adoption of the year 1968–Dependency of widowed mother on assessee–Point has not been concluded as per Sec . 30B(a) of the Old Ceiling Law–Gair mumkin land has been added in total land ceiling area – Order, set aside – Case, remanded for re-determination. लेकिन हस्तगत प्रकरण में गैरमुमकिन भूमि का कोई मामला नहीं है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 1986 आरआरडी पेज 460 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Raj. Tenancy Act, Secs. 30 – C, 30 – D, 30 – DD & 5(17) Proviso – Partition of Joint Hindu Family property cannot be regarded as transfer – Partition took place after appointed date –Whether individual share of co -tenant is to be considered separate "holding" of each co-tenant –Held for purpos e of Ch. III B, if more than one persons are co-tenants of any land then each of them shall be deemed to be its separate holder whether its division has or has not actually taken place. लेकिन हस्तगत प्रकरण में संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि का कोई मामला नहीं है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 1992 आरआरडी पेज 450 में मंडलहाजा की एकलपीठ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Rajasthan Tenancy Act- Chapter III B (Old Ceiling Law) – (a) Section 30 B (a) – Jagir land is ancestral property–The ceining limit to such lands sho uld be worked or after considering the notional shares of the sons and the widowed mother, if any, after finding out whether they are dependant or not on the assessee. (b) Section 30 D and 30 DD–Land transferred between the closing of the case under the Old Ceiling Law and its re-opening under section 15(2) of the Raj. Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (New Ceiling Law) or part thereof can be taken over by the State to cover any shortfall in the land finally held to be in excess of ceiling	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	limit. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1998 आरआरडी पेज 140 में मंडलहाजा की एकलपीठ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Rajasthan Imposition of Ceiling on Agl. Holdings Act, 1973, Section 15(1) & (2) − Cases re-opened by State Govt. and authorised Addl. Collector (Admn.) to decide −Proceedings initiated and 77 bighas 2 biswas land acquired − Appeals − Held , land in dispute is ancestral with number of family members five in all including father assessee and 4 minor children − In view of Sec. 30-B(a) of Old Ceiling Law , 4 minor sons are coparceners in ancestral land and are entitled to equal share with the assessee, i.e. 1/5 share each − Dependency of children will be looked into with the economic position and not from the minority − Though children are minors but financially hold their own right to support themselves and cannot be said to be dependent on assessee − Order of Addl. Collector not held in consonance with provisions of Old Ceiling Law, hence set aside– Since assessee held , on 1.4.66, one-fifth share, i.e. 30 bighas 18 biswas of land, nothing remained to be acquired. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1994 आरआरडी पेज 222 में मंडलहाजा की एकलपीठ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Rajasthan Tenancy Act - Chapter III B- (Old Ceiling Law), Section 30B Family A son of a Hindu assessee whose share in the ancestral property in the hand of the assessee is sufficient for his separate maintenance, cannot be treated as a member of the assessee's family and his share cannot be clubbed with that of the assessee for determining the ceiling area. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1978 आरआरडी पेज 375 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– Constitution of India, Art. 226 - Scope- L.R. Act Secs. 84 & 256- Revl . jurisdiction of Board - Board, rightly not interfered with order of Addl . Collec tor who found that defaulter had attachable interest in disputed lands - Contention at finding of Addl. Collector, vitiated due to misreading of evidence, not accepted since it could not be a ground for interference under Art. 226 - Discretionary powers, not exercised since recovery proceedings were in respect of heavy amount, defaulcated by Patwari - 1968 RLW 95, distinguishable - Writ, rejected summarily. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1997 आरआरडी पेज 198 में मंडलहाजा की एकलपीठ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि– (A) Rajasthan Tenancy Act, Chapter IIIB (Old Ceiling Law), Section 30B - Surplus land measuring 14 bighas 2 biswas Nahari and 40 bighas Barani was acquired from the land of assessee in ceiling proceedings taking land	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	as ancestral - Appeal- Held, in ancestral propety all the coparceners in the family have a right by birth in the property; their notional shares should be calculated and separated while assessing the surplus land - The number of family members on 1.4.66 was eight including assessee's wife, four sons and two daughters - Crucial point for dependency must be financial and not physical, i.e. majority or minority - The Addl. Collector has determined six sharers which ought to have been five including assessee and four sons u/s 30B, R.T. Act. (B) Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Government) Rules, 1963, Rule 19 - Formation of ceiling groups and area for different groups - Land is recorded in the revenue records as Second Class and Addl . Collector, erroneously treated it as First Class which is not in consonance with the Rules - Taking notional shares of all the sons in the ancestral land held by the assessee does not exceed the ceiling limit - Order of Addl. Collector, set aside. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलार्थी हरफूल सिंह वगैराह की ओर से धारा 23 (4) सी के सीलिंग अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि की जमाबंदिया संवत् 2013 व सन् 1944-45 से पेश कर तर्क किया है कि समस्त वादग्रस्त भूमि अकेले बुगरसिंह की नहीं होकर उसके भाई बच्चन सिंह का भी बराबर हिस्सा था और इसमें घोषणा का आधा हिस्सा ही बनता है। उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक होना बताकर प्रार्थनापत्र पेश किया और इस संबंध में तर्क भी किया कि उक्त दस्तावेजों के आधार पर निर्णय किया जावे। उक्त दस्तावेज रिकार्ड के भाग नहीं हो सकते क्योंकि बुगर सिंह स्वयं द्वारा अपने स्वयं की संपति की घोषणा, घोषणापत्र में की है और उसी आधार पर निर्णय पारित किया गया। स्वयं द्वारा की गई घोषणा में वह स्वयं विबंधित है, अब वह नया आधार नहीं ले सकता। विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा रिओपन करने का आदेश निरस्त कर दिया और अतिरिक्त जिला कलक्टर को आदेश पारित करने का अधिकार भी नहीं है इसलिए आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस तर्क के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) द्वारा उक्त दोनों बिंदुओं पर विनिश्चय दिनांक 12.06.1998 को विस्तृत आदेश करते हुए यह विनिश्चित किया जा चुका है कि मंडलहाजा की पूर्णपीठ द्वारा यह तय किया जा चुका है। राज्य सरकार का यह अधिकार नहीं है कि वह अपने ही रिओपन आदेश को स्टे करे या वापस ले ले और अतिरिक्त जिला कलक्टर को रेवेन्यू कलक्टर की शक्तियां प्राप्त है या नहीं, इस बिंदु का भी विनिश्चय दिनांक 07.09.2005 को किया गया और अतिरिक्त जिला कलक्टर को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	रेवेन्यू कलक्टर की शक्तियां प्राप्त होना विनिश्चत किया गया और उक्त दोनों आदेश अंतिम आदेश है। किसी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। जब एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा किसी बिंदु को तय किया जा चुका है और उसको चुनौती नहीं दी गई है तो वह विनिश्चय अंतिमता को प्राप्त हो चुका है, इसलिए विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी के उक्त दोनों तर्क सारहीन है। जहां तक अपीलार्थी की व उसके परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा आठ सदस्यों की बजाय छः सदस्य होना और उसी आधार पर भूमि का सरप्लस होना अपनी अपील पर उल्लेख किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर आधा हिस्सा अपने भाई बच्चन सिंह का और आधा हिस्सा अपना होना बताकर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना बताया है और इस संबंध में बुगर सिंह स्वयं का घोषणा पत्र है और बुगर सिंह का हिस्सा ही जमाबंदी के अनुसार विचार में लिया जाकर सीलिंग सीमा का निर्धारण किया गया है। बुगर सिह जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 का दस्तावेज अभिलेख पर है और उसी के अनुसार गणना की गई है, बच्चन सिंह के हिस्सा अलग है इसलिए विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का उक्त तर्क कि आधा हिस्सा बच्चन सिंह का है और 32 बीघा भूमि ही बुगर सिह के हिस्से में आती है, तर्क मानने योग्य नहीं है। परिवार के सदस्यों की सूची है और उक्त घोषणापत्र दिनांक 15.06.1972 का है जबकि दिनांक 01.04.1966 को परिवार के सदस्यों की संख्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आठ मानकर गणना की गई है हालांकि राजकीय अधिवक्ता सदस्यों की संख्या छः होना बताते है लेकिन छः सदस्य किस प्रकार है इस बारे में अपने तर्को में स्पष्ट नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अव्यस्क की उम्र नही बल्कि उसकी विद्यमानता देखी जाएगी और एसएसेसी (assessee) पर उसकी निर्भरता देखी जाएगी इस संबंध में 1997 आरआरडी पेज 198 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि– **Crucial point for dependency must be financial and not physical, i.e. majority or minority.** इसलिए परिवार के सदस्यों की संख्या छः मानने का तर्क स्वीकार योग्य नही है। बुगर सिंह के घोषणा पत्र के अनुसार दिनांक 01.04. 1966 को 64 बीघा 17 बिस्वा भूमि में हरनेक सिंह, हरफूल सिंह, सरजीत सिंह व प्रताप सिह के नाम 36 बीघा 4 बिस्वा कुल 101.09 बीघा रकबा था और आठ सदस्यों के आधार पर सीलिंग सीमा से 31. 16 बीघा भूमि अधिक पायी गयी है। अतः इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आधार नहीं है। अतः राज्य सरकार व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले खारिज की जाने योग्य है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 597/2000 बउनवानी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/597/2000/गंगानगर हरफूल सिंह बनाम सरकार अपील/सीलिग/924/2000/गंगानगर सरकार बनाम जलकौर	नम्बर व तारीख
	हरफूलसिंह व अन्य बनाम सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील 924/2000 सरकार बनाम जलकौर खारिज की जाती है और अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) निर्णय दिनांक 14.03.2000 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य**	